

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ३१८)

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2011/ज्येष्ठ 27, 1933

No. 318]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2011/JYAISTHA 27, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 17 जून, 2011

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अविकारियों और अन्य कर्मवारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2011

सा.का.नि. 458(अ).— केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35(ज) के साथ पठित धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्निखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंग. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मधारियों की भर्ती, देसन और सेवा के अन्य निवंधन और शर्ते) नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. लागू होना ये नियम अधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होंगे (बाह्यस्रोत आधार पर या अल्प कालिक संविदा आधार पर या एकमुस्त वेतन के आधार पर लिए गए कार्मिकों के सिवाय)।
 - पश्चिमाएं (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.
 - (क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) अभिप्रेत है ;
 - (ন্তু) "अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी" से इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए कार्मिक अभिप्रेत है :
 - (ग) "धारा" से अधिनियम की घारा अभिभेत है ;
- (घ) "अधिकरण" से राष्ट्रीय हस्ति अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अधीन गठित राष्ट्रीय हस्ति अधिकरण अभिग्रेत हैं ;

(1)

2278 GI/2011

- (क) उन जन्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है कि-तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
- 4. नियुक्ति प्राधिकारी अधिकरण का अध्यक्ष अधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।
- 5. अविकारियों और कर्मचारियों की मर्ती विभिन्न पदों पर मर्ती इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के मदों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए किया जाएगा !
- 6. पद-संख्या, वर्गीकरण और वैतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंम 4 में विनिर्विष्ट हैं।
- 7. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्रंम 5 से स्तंम 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 8. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का आमेलन (1) इन नियमों के उपबंधों में किसी बात के होते हुए. प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त व्यक्ति (तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर नहीं) और जो सीधी भर्ती के लिए इन नियमों में अधिकथित अहंताएं और अनुभव को पूरा करते हैं यो आमेलन के लिए पात्र होंगे, उन शर्तों के अधीन रहते हुए कि उक्त पद की नियुक्ति के लिए विद्यमान सीधी भर्ती के लिए उपबंध और इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथाविहित पद के लिए सीधी भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया निम्मलिखित के पश्चात् की जाएगी ।
- (2) ऐसे आमेलन भी शर्त के अधीन होंगे कि आमेलन के लिए उनके विकल्प प्रतिनियुक्ति करते समय प्रयोग किए जाएंगे और उनके मूल विभाग/कांडर नियंत्रण प्राधिकारी अधिकरण में उनको आमेलन किए जाने पर कोई आसेप नहीं है।
- 9. सीघी भर्ती की प्रक्रिया इन नियमों से उपाबद अनुसूची में जहां कहीं विनिर्दिश्ट पर्यो पर सीघी मर्ती करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी -
 - (1) अधिकरण अखिल भारतीय आधार पर विश्वापन के माध्यम से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा ।
- (2) उपनिधम (2) के अधीन प्राप्त आवेदन की पात्रता के लिए धानबीन अध्यक्ष द्वारा गठित छनरबीन समिति द्वारा की जाएगी।
- (3) यदि अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो चयन समिति खुती प्रतियोगिता प्रक्रिया के आधार पर चयन किसी वृत्तिक अभिकरण के माध्यम द्वारा आयोजित प्रारंगिक परीक्षा की सिफारिश कर सकेगी ।
 - (4) मर्ती चयन समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नतिखित होंगे -
 - (क) अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक शदस्य अध्यक्ष
 - (ख) अधिकरण के अध्यक्त द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य सदस्य
 - (ग) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उनका नामनिर्देशिती सदस्य
 - (घ) अविकरण का रजिस्ट्रार सदस्य
- 10. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट पर्दो पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए निम्निलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी -
 - (1) अधिकरण अखिल भारतीय आचार पर विज्ञापन के माध्यम से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा ।
- (2) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन की पात्रता के लिए छानबीन अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा की जाएगी !

- (3) चयन के लिए साक्षात्कार, ऐसी समिति द्वारा संचालित होंगे जो अधिकरण का अध्यक्ष, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रामर्श से विनिर्दिष्ट करें।
- 11. प्रिसिनेयुंक्ति की अविध :- प्रितिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले घारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 3 वर्ष के पश्चात्, प्रतिनियुक्ति की अविध को सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन से 4 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और पर्यावरण और वन मंत्री के अनुमोदन से 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु प्रत्येक विस्तार अधिकरण के अध्यक्ष की पूर्व सहमित से होगा । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेश अधिकरण में प्रतिनियुक्त पर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारीवृंद पर लागू होंगे ।
- 12. अनुशासनात्मक कार्यवाही :- अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मधारियों के विरुद्ध स्थात्मकता अनुशासनात्मक कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित की आएगी, केन्द्रीय सरकार के तत्समान वेतनमान के, यधारिधित, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर ऐसे नियमों और विनियमों के रूप में लागू होगी !
- 13. सेवा की शतें :- अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शतें वेतन, मत्ते, छुट्टी, भविष्य-निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ, विकित्सा सुविधा और अन्य सेवा की शतों के मामलों में उन स्थानों पर आस्थित केन्द्रीय सरकार के तत्समान वेतनमान, यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित सहित लागू होगी!

14. निश्हंसा ः वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र न<mark>हीं होगा</mark>

- 15. वास सुविधा :- अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी मकान किराया भत्ता के पात्र होंगे उन स्थानों पर आस्थित केन्द्रीय सरकार के तत्समान वेतनमान, यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' से संबंधित अधिकारियों और कर्मधारियों पर लागू होगी !
- 16. व्यावृति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आस्क्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं छालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछके वगाँ और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- 17. सेवा की अन्य शर्ते :- अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्ते, वैतन, विनिर्दिश्ट उपवंधों को उपलब्ध नहीं कराया गया है के लिए, समय-समय पर ऐसे नियमों को विनियमित किया जाएगा, उन स्थानों पर आस्थित केन्द्रीय सरकार के तत्समान वेतनमान, यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' से संबंधित अधिकारियों और कर्मधारियों पर लागू होगी!

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेंड येतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. र्खपस्ट्रार	*1 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है i)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-4, 37,400 - 67,000 रुठ (ग्रेड वेतन 8700)	लागू नहीं होता

सीधी मती किए जाने वाले म्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिकों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागूनहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीची मती किए जाने वाले व्यक्तिकों के लिए विहित आयु और रौक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		श्रेती की पद्धति : श्रेती सीवी होगी वा प्रोन्नति द्वारा वा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विमिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने बाले पदों की प्रतिरातता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रान्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा मती की वशा में वे श्रीणयां जिनसे प्रान्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखते है ऐसे अधिकारी जिन्होंने

- (क) केन्द्रीय संस्कार/राज्य संस्कार/न्यावालय/अधिकरण में निवमित आधार पर सदृत पद धारण किए हों, वा
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बॅंड-3, (15600 -38100 रु०) ग्रेंड वेतन 7600र**० के** पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, या
- (ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-3, (15600 -39100 २०) ग्रेड वेतन 6600२० के पद पर ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्निलेखित होंगे :- (i) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - सदस्य (iii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (iv) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप रजिस्ट्रार	*4 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-3, 15600 - 39100 रूठ (ग्रेंड वेतन 7600)	लागू नहीं होता

सीघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीघी मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीघी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 % प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखते है ऐसे अधिकारी और जिन्होंने

- (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-3, (15600 -39100 रु0) ग्रेड वेतन 6600रु0 के पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित सिमिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे :- i) अधिकरण का अध्यक्ष = अध्यक्ष ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - सदस्य iii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य iv) सिवव, पर्यावरण और वन मंत्रालय था उसका नामनिर्देशिती - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेंड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सहायक रजिस्ट्रार	*5 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ()	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-3, 15600 - 39100 रूठ (ग्रेंड वेतन 6600)	चयन पद

सीघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्वा सीवी मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं !	परिनीक्षा की अवधि, ग्रदि कोई हो ।	कती की पद्धति : वर्ती सीधी होगी वा प्रोन्नित इ।रा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन झारा तथा विभिन्न पद्धतियों इत्या वरे जाने वस्ते पद्धे की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
सांगू नहीं क्षेता	लागू नहीं होता	i) 40% प्रतिनियुक्ति द्वारा ii) 60% पात्र अभ्यर्थियों में से योग्यता-साह- ज्येष्ठता (लिखित और मीखिक परीक्षा) के आधार पर प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा बती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति :- किसी मान्यताप्राप्त विस्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखते है ऐसे अधिकारी और जिन्होंने

- (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-बैं,,9300 -34800 रुठ (ग्रेंड वेतन 5400रुठ) के पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।

प्रोन्नित की दशा में - राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वेतन बैंड-2, (9300 -34800 रूं0) ग्रेंड वेतन 4800रूं0 के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा करने वाले ऐसे अधिकारी जिनके पास

- i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यून्तम 55% अंकों के साथ विधि में डिग्री हो;
- ii) कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो ।

यदि विभागीय प्रोन्निति सैमिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्तित समिति (पुर्व के किए) जिस्में निम्निति सित होंगे:-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष - अव्यक्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - सदस्य	
iii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य	:
iv) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वा उसका नामनिर्देशिती - सदस्य	·

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबँड और ब्रेड वेतन/ वेतनमान	क्का चवन पद है का अथवन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. अनुभाग अधिकारी	*6 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	লায়ু নহী হীরা	वेतन वेंड-2, 9300 - 34800 रुठ (प्रेड वेतन 4800 रुठ)	चयन पद

सीची भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्तित शिक्षक और अन्य अर्हताएं				
(6)				
लागू नहीं होता				

क्या सीची भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए बिहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं !	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धित : मर्ती सीची होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विकिन्त पद्धतियों द्वारा गरे जाने वाले पदों की प्रतिशततः
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% पात्र अध्यर्थियों में से योग्यता-सह-ज्येष्टता (तिखित और मौखिक परीक्षा) के आधार पर प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रीन्नति/प्रतिनियुक्ति/अभेलन द्वारा नती की वशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रतिनियुक्ति की दशा में :- ऐसे अधिकारी जिन्होंने

- (क) केन्द्रीय सरकार/**राज्य सरकार/**न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धा**रण किए हों**, या
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन र्रंड-2, (9300 -34800 रु0) ग्रेड वेतन 4200रु0 के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा किया हो ।

आवस्थक - कंप्यूटर प्रधालन की जानकारी ।

प्रोन्निति की देशा में - राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वेतन बैंड-2, (9300 -34800 रू०) ग्रेंड वेतन 4200रु० के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा करने वाले सहायक ।

यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(11)	(12)	
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित सिमिति जिसमें निम्नितखित होंगे :- i) अधिकरण का अध्यक्ष द्वारा नामिनैदेशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामिनैदेशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य iii) सिचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामिनैदेशिती - सदस्य iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य		

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सहायक	*12 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ()	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रूठ (ग्रेंड वेतन 4200रूठ)	चयन पद

सीघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	
(6)	(7)	
21-30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	i) भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि में डिग्री (नियमित पाठ्यक्रम) हो । ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किया हो । iii) वांछनीय - एक विषय के रूप में पर्यावरणीय शिक्षा/विज्ञान के साथ डिग्री रखने वाले प्रत्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ; या पर्यावरण के क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव रखता हो ।	

क्या सीधी मर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए विहित आबु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की बशा में लागू होंगी था नहीं ।	परिवीक्षा की अबधि, यदि कोई हो ।	मती की पहति : मती सीधी होगी या प्रीन्नित हारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन होरा तथा विमिन्न पद्धतियों हारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	
(8)	(9)	(10)	
क्षागृ नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा ।	

	(11)
प्रतिनियुक्ति की	दशा में :- किसी मान्यताप्राप्त विस्वविद्यालय से विधि में रखते है ऐसे अधिकारी जिन्होंने
(क) केन्द्रीय सर	कार/तज्य सरकार/न्यायासय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृत्र पद धारण किए हों, या
(ख) देतन बेंड-1	।, 5200 -20200 रु0 (ग्रेड देतन 2800रु0) में छह दर्ब नियमित सेवा ।
	कार या राज्य सरकार या न्यायालयं/ अधिकरण में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 520। 5 वेतन 2400) में आट वर्ष नियमित सेवा की हो ।
आदश्यक-कंप्यू	टर प्रचालन की जीनकारी !

यदि विभागीय प्रोत्निति समिति है तो उसकी संरब ना	भर्ती करने में किन धरिस्थितियों में संघ सोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समृह 'ख' और समृह 'ग' विमागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषक्ष सदस्य - सदस्य	
iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य	
iv) अधिकरण का रिजस्ट्रार - सदस्य	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेंड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. प्रघान निजी सचिव	*1 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ()	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-3, 15600 - 39100 रूठ (ग्रेंड वेतन 6600)	चयन पद

सीघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% पात्र अभ्यर्थियों में से योग्यता-सह-ज्येष्ठता (लिखित और मौखिक परीक्षा) के आधार पर प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्निति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की वशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति की दशा में :- अ. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखते है ऐसे अधिकारी और जिन्होंने

- (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300 -34800 रूठ (ग्रेंड वेतन 4800) के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की हो ।
- आ. आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो ।
- इ. आवश्यक कंप्यूटर प्रचालन का कार्य साधक ज्ञान ।

वांछनीय - किसी भान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अविध का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

प्रोन्नित की दक्षा में - तब्द्रीय हरित अधिकरण में ऐसे निजी सचिव जिन्होंने वेतन बैंड-2, (9300 -34800 रु0) ग्रेड वेतन 4800रु0 के पद पर छह वर्ष की नियमित की हो !

आवश्यक -

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि में विग्री रखता हो ।

ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संध लोक सेवा आयोग से परामशे किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रीन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - सदस्य	
iii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषक्ष सदस्य - सदस्य	}
iv) सचिव, पर्यावरण और वन पंत्रालय या उसका नाभनिर्देशिती - सदस्य	
·	1

पद का नाम	पद की संख्या	वगीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अवयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. निजी सचि व	*23 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ()	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 8390 - 34800 स्ठ (ग्रेंड वेतन 4800)	लागू नहीं होता

सीघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीची भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	तागू नहीं होता

क्या सीची भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं !	परिदोक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	अर्ती की पद्धति : भर्ती सीची होगी या प्रोत्निति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आपेलन द्वारा सथा यिमिन्न पद्धतियों द्वारा मरे जाने वाले पर्यो की प्रतिसतता
(8)	(e)	(10)
लागू नहीं होता	सागू नहीं सेता	i) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा । ii) 50% पात्र अम्यर्थियां में से योग्यता-सह- ज्येष्ठता (सिखित और मीखिक परीक्षा) के आधार पर प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा असी की दशा में वे भ्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुर्वित/आमेलन किवा जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति की दशा में :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने

- (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन वैंड-2, (9300 -34800 रु०) ग्रेड वेतन 4600रू० [6500-200-10500 रू पुनरिक्षित] की श्रेणी में कोर्ट मास्टर/आशुलियिक श्रेणी 'ग' के यह पर कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा की हो । और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में 100 शब्द प्रति मिनट आशुलियि में और 40 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी) टेकण में मति स्खता हो ।

आवश्यक - किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

वांछनीय - विधि में डिग्री।

प्रोन्नित की दशा में -

- (i) वेतन बैंड-2, (9300 -34800 रू०) ग्रेड वेतन 4600रू० की श्रेणी के उन आशुलिपिक श्रेणी 'ग'/अधिकरण मास्टर में से जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कम से कम दो दर्ष नियमित सेवा की हो ।
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम । वोजनीय - विधि में डिग्री ।

यदि विभागीय प्रोन्सित समिति है तो उसकी संरघना	मही करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष	

- ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषञ्च सदस्य सदस्य
- iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती सदस्य
- iv) अधिकरण का रजिस्द्रार सदस्य

पद का नाम	पद की संख्या	चर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेसन/ वेसनमान	क्या व्य रन पद है या अव धन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
 वैयक्तिक सहायक (आशुलिषिक श्रेणी-ग/कोर्ट मास्टर) 	*21 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ()	सागू नहीं होता	वेतन बॅंड-2, 9300 - 34800 का (ग्रेंड वेतन 4200)	वयन भद

सीधी भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
21-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख मारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णाय नियत की गई अंतिम सारीख होगी !	आवश्यक - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ विक्ति में लिग्नी हो ! 2) कौशल परीक्षा संनियम - श्रुतलेखन - 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट प्रतिलिप्यांतरण - 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैन्यूल टाईपसइटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर) 3) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास का कंप्यूटर प्रतिक्षण पाठ्यक्रम !

क्या सीची मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और हौंक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी वा नहीं ।	पश्चिक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	मती की पद्धति : भती सीधी होगी या प्रोन्गति हारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन हारा तथा विभिन्न पद्धतियों हारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	
(8)	(9)	(10)	
नहीं	सी धी मर्ती के लिए	i) 50 % सीधी भर्ती द्वारा ।	

	2 वर्ष	ii) 50% पात्र अम्यर्थियों में से योग्यता-सह-
1		ज्येकता के आधार पर प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो
]		सकनं पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्निति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा मती की दशा में दे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

प्रतिनियुक्ति की दशा में :- किसी मान्यताप्रापा विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने

- (क) कैन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या
- (छ) वैतन बैंस्ट-1, 5200 -20200 रुठ (ग्रेंड वेतन 2400रुठ) में दस वर्ष नियमित सेवा के साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय/ अधिकरण में आशुलिपिक श्रेणी 'घ' या समतुख्य पद धारण किया हो ।

आवश्यक- किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम ६ मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति श्खता हो, कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी ।

प्रोन्नित की दशा में - वेसन वैंछ-1, 5200 -20200 रू० (ग्रेड वेसन 2400) की श्रेणी के उन आशुलिपिक श्रेणी 'घ' में से जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कम से कम दस वर्ष निवमित सेवा की हो ।

आवश्यक - किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठाक्रम । आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो, कंप्यूटर प्रवासन की जानकारी ।

यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आद्योग से परामर्श कियां जाएगा
(12)	(13)
समूह 'खे' और समूह 'ग' विमागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निलिखत होंगे :-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज सदस्य - सदस्य	
iii) संघिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नाननिर्देशिती - सदस्य	
iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. आशुलिपिक श्रेणी-'घ'	*12 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ()	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 २० (ग्रेड वेतन 2400)	चवन पंद

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शीक्षक और अन्य अहंताएं
(6)	(7)
21-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिधिल की जा सकती हैं) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख मारत में अम्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निवत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 56% अंकों के साथ स्नातक । 2) कौशल परीक्षा संनियम - श्रुतलेखन - 80 जब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट
टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गईं अंतिम तारीख होगी ।	प्रतिलिप्यांतरण - 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैन्यूल टाईपराइटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कॅय्यूटर पर) 3) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 गास का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

क्या सीघी नती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दक्ता में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : मर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा गरे आने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
तागू नहीं होता	2 वर्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

	(11)
नेयुक्ति की दशा में	:- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्मातक की डिग्री रखते हैं ऐसे अधिकारी जिन्होंने
) केन्द्रीय सरकार/र	ाज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या
ii) किसी मान्यताप्रा	त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

वदि विमागीव प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	मती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नित समिति समूह 'ख' और समूह 'ग' (पुष्टि के लिए) में निप्निलिखत होंगे :-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य	i
iii) संचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य	
iv) अधिकरण का रिजस्ट्रार - सदस्य	

पंद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनवेंड और ग्रेस्ट वेतन/ वेतनभान	क्या चयन पद है या अस्वन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. हिन्दी अधिकारी	*i (2011) *(कार्यमार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ()	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 २० (ग्रेड वेतन 5400)	अचयन पद

सीधी नहीं किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीपी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्यां सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विडित अरयु और शैक्षिक अहतीएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।		भर्ती की पद्धति : भर्ती शिघी होगी या प्रोन् द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विधि यद्धतियाँ द्वारा भरे जाने वाले पदाँ की प्रतिशतत	
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	सागू नहीं होता	100 % प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	

प्रोन्नितं/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नितं/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति : (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आघार पर सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति, या

(ii) केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में देतन बैंड-2, (9300 -34800 रु0) ग्रेड वेतन 4800रु0 के पद पर क्रमिक श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा करने दाला व्यक्ति ।

प्रोन्नित :- राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300 -34800 रि0 (ग्रेंड वेतन 4200रि0) में कार्य करने वाले हिन्दी अनुवादक के पद पर 8 वर्ष नियमित सेवा का अनुभव रखने वाला अधिकारी ।

यदि विमागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी संस्थना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नतिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्य क्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषङ सदस्य - सदस्य	
iii) सचिद, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य	
iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्व	

भारत का राजपत्र : असाधारण

पद का नाम	पद की संख्या	दगीकरण	वेतनबैंड और ग्रेंड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है था अध्यम पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. हिन्दी अनुवादक	*5 (2011) *(कार्यमार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ()	लागू नहीं होसा	ব্যান বিভ-2, 9300 - 34800 স্থা (ট্ৰন্ড ব্যান 4200স্থা)	चयन पद

सीची मती किए जाने वाले व्यक्तियां के लिए जायु-सीमा	त्तीची मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं
(6)	(7)
23-32 घर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुपेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिक्षल की जा सकती हैं) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख मारत में अध्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	1) न्यूनंतम 55% अंकों के साथ किसी भान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तार पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में भास्टर डिग्री । 2. हिन्दी से अंग्रेजी में और विपर्ययेम अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्सोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रम सहित भारत सरकार या सरकार कि उपक्रम से उपक्रम मी सम्मिलित हैं में हिन्दी से अंग्रेजी में और विपर्ययेम अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।

क्वा सीची मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहिस आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्निति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेकन क्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा गरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	
(8)	(2)	(10)	
लागू नहीं होता	सीधी मती के लिए 2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	

प्रोक्निति/प्रतिनियुक्ति/आर्यलन द्वारा भर्ती की दशा में दे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
(11)		
लागू मर्सी होता		

यदि विभागीय प्रोन्मति समिति है तो उसकी संस्थना	अती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'स' और समूह 'ग' विमागीय प्रोन्तित समिति (पूर्विक के लिए) जिस्सी किनिकारी	. सागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्याविक सदस्य - अध्यक्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य	
iii) संचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य	
iv) अधिकरण का र्राजस्ट्रार - सदस्य	

पदका नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनवैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या वयन पर्द हैं या अवयन पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. तेखा अधिकारी	*! (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्धन किया जा सकता है ()	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रहा (ग्रेंड वेतन 5400)	सागू नहीं होता

सीची भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीची भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(?)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीची भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहतीएं ग्रीन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, वदि कोई हो !	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीघी होगी या प्रीन्निते द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता (10)		
(8)	(8)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्मति द्वारा जिसको न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।		

प्रोन्मति/प्रतिनियुक्ति/आमेखन झस्त भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेखन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति :- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने

- (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आचार पर सदृश पद धारण किए हों, वा
- (ii) केन्द्रीय सरकार था राज्य सरकार या न्यायालय/ अधिकरण में क्रमिक श्रेणी में वेतन बैंड-2, 9300 -34800 रहा (ग्रेड वेतन 4800रु) के पद पर 8 वर्ष नियमित सेवा करने वाले अधिकारी ।
- वांधनीय (i) केन्द्रीय सरकार/**एउय सरका**र के संग**ित लेखा वि**माग के कि**सी द्वारा सं**चालित एस**एएस या का**ई समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो;
- (ii) आईएसटीएम या समतुत्य से चेकड़ और लेखा कार्य में सफलता पूर्वक परीक्षण पूर्व किया हो और चेकड़, लेखा और बजट कार्य का अनुभव ।

यदि विमागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी संस्वना	भर्ती करने में किन परिस्थितियाँ में संघ लोक सेवा अरथोग से, परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा भागनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषङ्ग सदस्य - सदस्य	
iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य	
iv) अधिकरण का रजिस्ट्रारं - स दस्य	

पद का नाम	पव की संख् या	वगीकरण	वेत नबंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. लेखाकार	5 * (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ()	लागू नहीं होता	वेतन बैंद-1, 5200 - 20200 स्ठ (ग्रेंड वेतन 2400स्व)	चयन पद

सीवी मती किए जाने वाले माक्तियों के लिए आयु सीमा	सीवी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के सिए अपेक्षित शैंसिक और अन्त्र अर्हताएं			
(6)	(7)			
21-30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशीं या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शियल की जा सकती हैं) टिप्पण - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अन्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	साथ वाणिज्य में स्नातक । वांछनीय - सीए माध्यमिक			

क्का सीवी करी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विश्वित आयु और शैक्षिक अहतीए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवेका की अवधि, यदि कोई हो ।	भती की पद्धति : भती सीची होगी या प्रोन्नति हाश या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(a)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी मती के लिए 2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोम्निति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा मती **की दशा** में वे श्रीणिया जिनसे प्रोन्निति/प्रतिनियुक्ति/ऑमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में रनातक की डिग्री घारक ऐसे अधिकारी जिन्होंने

- (i)(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या
- (ख) केन्द्रीय संरकार या राज्य संरकार या न्यायालय/ अधिकरण में वेतन वैंड-1, (5200 -20200 रू०) ग्रेड वेतन 1900रू० के पद पर 8 वर्ष नियमित सेवा की हो ।

आवश्यक- कंप्यूटर प्रचालन का कार्यसाधक ज्ञान ।

वांग्रनीय- किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	बती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक संवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' और समूह 'म' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुन्टि के लिए) जिसमें निम्नतिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक संवस्य - अध्यक्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषक्ष सदस्य - सदस्य	
iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य	
iv) अधिकरण का र्राजस्ट्रार - सदस्य	

[फा. सं. 17(23)/2010-पीएल/एनजीटी] डॉ. रजनीश दुवे, संयुक्त समिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2011

The National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011

G.S.R. 458 (E).—In exercise of powers conferred by Section 12 and Section 13 read with Section 35(h) of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011.
- (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official Gazette of India.
- 2. Application.— These rules shall apply to all the officers and employees of the Tribunal (except personnel hired on outsourced basis or short term contract basis or on lump-sum salary basis.)
- 3. Definitions. -- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, --
 - (a) "Act" means the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010);

- (b) "officers and employees of the Tribunal" means the personnel recruited under these rules;
- (c) "section" means a section of the Act;
- (d) "Tribunal" means the National Green Tribunal constituted under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010);
- (d) The words and expression used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- Appointing Authority The Chairperson of the Tribunal shall be the appointing authority of all the officers and employees of the Tribunal.
- Recruitment of Officers and Employees- The recruitment to various posts shall be made for different categories of officers and employees as per the entries in the Schedule annexed to these rules.
- 6. Number of Posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto are given in the columns 2 to 4 in the Schedule annexed to these rules.
- 7. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in the columns 5 to 13 in the Schedule annexed to these rules.
- 8. Absorption of employees on appointment on deputation.—(1)Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons appointed on deputation basis (not on ad hoc deputation basis) and who fulfill the qualifications and experience laid down in these rules for direct recruits, shall be eligible for absorption, subject to the condition that provision for direct recruitment exists for appointment to the said post and after following the procedure laid down for direct recruitment for the post as prescribed in the Schedule annexed to these rules.
- (2) Such absorption shall also be subject to the condition that the deputationists exercise their option for absorption and their parent Departments/cadre controlling authorities do not have any objection to their being absorbed in the Tribunal.

- 9. Procedure for Direct Recruitment- The following procedure shall be followed for making direct recruitment to posts wherever prescribed in the schedule annexed to these rules:
 - (1) The Tribunal shall invite applications for the posts through an advertisement on all India basis.
 - (2) The applications received under sub-rule (2) shall be screened for eligibility by a screening committee constituted by the Chairperson.
 - (3) If the number of applications received is large, then the Selection Committee may recommend a preliminary examination to be got conducted through a professional agency selected on the basis of an open competitive process.
 - (4) The recruitment shall be done by a Selection Committee comprising of:
 - (a) Chairperson or a Judicial Member nominated by the Chairperson of the Tribunal Chairman
 - (b) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal Member
 - (c) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee-Member
 - (d) Registrar of the Tribunal Member
- 10. Procedure for appointment on Deputation- The following procedure shall be followed for making appointment on deputation to posts wherever prescribed in the schedule annexed to these rules:
 - (1) The Tribunal shall invite applications for the posts through an advertisement on all India basis.
 - (2) The applications received under sub-rule (1) shall be screened for eligibility by a screening committee constituted by the Chairperson.
 - (3) Interviews shall be conducted for selection by such committee as specified by the Chairperson of the Tribunal in consultation with the Secretary, Ministry of Environment and Forests
- 11. Period of Deputation- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall be 3 years from the date of beginning of the deputation. Beyond 3 years, the period of deputation may be extended upto 4th year with the approval of the Secretary, Ministry of Environment and Forests and upto 5th year with the approval of the Minister for

Environment and Forests; provided that every extension shall have prior concurrence of the Chairperson of the Tribunal. The deputationist should not have attained the age of 56 years on the last date of receipt of applications. The instructions on deputation issued by Department of Personnel and Training shall be applicable to officers and staff serving on deputation basis in the Tribunal.

- 12. Disciplinary Proceedings- The modalities of disciplinary proceedings against the officers and other employees of the Tribunal shall be notified by the Chairperson as per such rules and regulations as applicable to officers and employees belonging to Group A, Group B and Group C, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government.
- 13. Conditions of service.— The conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal in matters of pay, Allowances, Leave, Provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees belonging to Group A, Group B and Group C, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government stationed at those places.

Disqualification. – No Person, -

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

- 15. Accommodation.— The officers and employees of the Tribunal shall be eligible for House Rent Allowance as admissible to officers and employees belonging to Group A, Group B and Group C, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government stationed at those places.
- 16. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 17. Other conditions of service. Other conditions of service of the officers and employees of the Tribunal, for which no specific provisions have been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to officers and employees belonging to Group A, Group B and Group C, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government stationed at those places.

Name of the Post	l	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotegs	Period of probation if any
1	2	3	4	5 ;	6	7	8	9
2. Deputy Registrar	*4(2011)	Not Applicable	P6-3; Rs. 15600- 39100 (GP- 7600)	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be field by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	ff Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by deputation.	Deputation:-Officers possessing Degree in Law from a recognised University and holding (a) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/Courts/Tribunals, or (b) post in Central Government or State Government or Courts/Tribunals, with five years regular service in P8-3 (Rs. 15600-39100), GP-Rs. 6600.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: i) Chairperson of the Tribunal – Chairman ii) iudicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member iv) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee-Member.	Not Applicable

^{*}Subject to variation depending upon work load

11		
1	ੜ	
11	3	
	राजपत्र	
11	**	
	असाधारण	
11		

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Assistant Registrar	*5(2011)	Not Applicable	PB-3 Rs 15600- 39100 (GP- 6600)	Selection post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be field by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
i) 40% by deputation ii) 60% by promotion on the basis of 'merit cum seniority' (written test and interview) of eligible candidates failing which by deputation.	Deputation:-Officers possessing a degree in law from recognised university and holding (a) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/ Courts/Tribunals, or (b) post in Central Government or State Government or Courts/Tribunals, with five years regular service in the PB-2 of Rs. 9300-34800(GP-5400) In case of promotion- Officials with 6 years of regular service in PB-2 (Rs. 9300-34800), GP-4800 in National Green Tribunal having i) Degree in Law with a minimum 55% marks from a recognised University ii) Working knowledge of Computer.	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal - Chairman ii) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iv) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member	Not Applicable

^{*}Subject to variation depending upon work load

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	5	7	8
4.Section Officer	*6(2011)	Not Applicable	PB-2 Rs. 9300- 34800 (GP- 4800)	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether	In case of recrultment by promotion/deputation/absorption grades	If Departmental Promotion Committee exists	Circumstance
by direct recruitment or by	from which promotion/deputation/absorption, to be made	what is its composition	s in which
promotion or by	<i>;</i>	1	UPSC is to be
deputation/absorption and	1	1	consulted in
percentage of vacancies to be	į	,	making
field by various methods	<u> </u>		recruitment
9	10	11	12
100% by promotion on the basis	In case of deputation:- Officers holding	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion	Not
of 'menit cum seniority' (written	(a) analogous post on regular basis in Central Government/ State	Committee consisting of:-	Applicable
test and interview) of eligible	Government/Courts/Tribunals, or	i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial	1 '
candidates failing which by	(b) post in Central Government or State Government or	Member to be nominated by the Chairperson .	(1
deputation.	Courts/Tribunals, with six years regular service in the PB-2 (Rs.	Chairman	, /
	9300-34800), GP-4200	ii) Expert Member to be nominated by the	1 '
,	Essential - Knowledge in Computer operation.	Chairperson of the Tribunal -Member	('
 	1	ill) Secretary, Ministry of Environment and Forests	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,	In case of promotion:- Assistant with 6 years regular service in PB-2	or his nominee -Member	
]	(Rs 9300-34800) ,GP-4200 in National Green Tribunal.	iv) Registrar of the Tribunal - Member	l
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		İ

^{*}Subject to variation depending upon work load

₩

	of applications.	laving 2 years working experience in the field of environment.
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be field by various methods	in case of recruitment by promotion/deputation/absorption grad from which promotion/deputation/absorption, to be made	des if Departmental Promotion Circumstances in which Committee exists what is its UPSC is to be consulted composition in making recruitment
10	11	12 13
100% by direct recruitment failing which by deputation or absorption.	In case of deputation: Officers possessing a degree in law from recognised university and holding (a) analogous post on regular basis in Central Government/ Stagovernment/Courts/Tribunals, or (b) With Six years regular service in P8-1 Rs. 5200-20200(GP-2800) (c) Upper Division Clerk in Central Government or State Government or Courts/Tribunals, with 8 years regular service in the P8-1 of 5200-20200(GP-2400)	Promotion Committee (for confirmation) consisting of: i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member
	Essential-Knowledge in Computer operation.	iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nomineeMember iv) Registrar of the Tribunal - Member

Age limit for direct

21-30 Years (Relaxable

Government

in accordance with \$5% marks.

Government Note:-the institution.

dosing date for receipt of the subjects; or

Servant upto 40 years . Bar Council of India with minimum

instructions or orders | ii)Computer Training Course of at least issued by the Central 6 months duration from recognised

crucial date for | iii) Desirable Preference will be given determining the age I to candidates possessing a degree with limit shall be the Environmental Studies/Science as one

recruits

Number

5.Assistant *12(2011) Not Applicable

of Post

Name of

the Post

Classification

Pay Band and

Grade Pay/

Scale of Pay

PB-2 Rs. 9300-

34800 (GP-

4200)

Whether

selection

selection Post

Selection

Post

post or

non

Educational and other qualification

i)LLB/Degree in Law (Regular Course)

from a university recognised by the

required for direct recruits

Whether age

educational

qualification

prescribed for

direct recruits will apply in cases of promotees 8

Not Applicable

and

Period of

any

probation if

2 Years for

Direct

Recruit

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.Principal Private Secretary	*1(2011)	Not Applicable	PB-3 Rs. 15600-39100 (GP-6600)	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be field by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by promotion on the basis of 'merit cum seniority' (written test and interview) of eligible candidates failing which by deputation	In case of deputation:- A. Officers possessing a degree in Law from recognised university and holding (a) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/Courts/Tribunals, or (b) post in Central Government or State Government or Courts/Tribunals, with Six years regular service in the PB-2; of Rs. 9300-34800(GP-4800) B. Possessing speed of 100 words per minute in short hand (English/Hindi) C. Essential – Working knowledge of Computer operation Desirable- Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution In case of promotion:- Private Secretary in PB-2 (Rs. 9300-34800) GP- Rs. 4800 with at least 6 years regular service in the National Green Tribunal. Essential- Possessing a degree in Law from a recognised university with minimum 55% marks. ii)Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution.	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal – Chairman ii) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal -Member iii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member iv) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member	Not Applicable

^{*}Subject to variation depending upon work load

भारत	
왕	
राजपत्र	
**	
असाधारण	

	Number of Classif	Classification		Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	limit for and other education direct qualification qualific			Period of probation if any		
1	2	3		4	5	6	7	8		9		
7. Private Secretary	*21 (2011)	Not App	olicable	PB-2 Rs. 9300-34800 (GP-4800)	Not Applicable	Not Applica ble	Not Applicable	Not Applicab				
direct rec promotion deputation/a	or bsorption f vacancies to	or by by and	STATE OF THE PARTY	of recruitment romotion/deput	Delivery of the second second second second	Chine The state of	California de la companya del companya de la companya del companya de la companya	grades from		rtmental Promotion ttee exists what is its lition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
10			11					12		13		
i)50% by deputation ii)50% promotion on the basis of 'merit cum seniority '(written test and interview) of eligible candidates failing which by deputation			In case of Deputation:- Officers possessing Bachelor's degree from a recognised University holding - (i) analogous posts on regular basis in Central Governments/Courts/Tribunals, or (ii) post of Court Master/Stenographer Grade 'C' with at least two years regular service in the grade of PB-2; GP-Rs 4600 (Rs. 9300-34800) [prerevised 6500-200-10500] and possessing a speed of 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in type writing (English) in Central/ State Governments/ Courts/Tribunals. Essential- Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution. Desirable- Degree in Law In case of Promotion:						Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the		Not Applicable	

2(9300-34800), GP-4600 who have rendered two years regular

Computer Training Course of at least 6 months' duration from a

service in the National Green Tribunal.

recognised institution.

Desirable- Degree in Law

- Member

^{*}Subject to variation depending upon work load

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
vacancies to be field by various methods	11		13
i)50% by direct recruitment	in case of deputation:- Officers possessing a Bachelor's degree from a recognised university and holding (a) analogous post on regular basis in Central Government/ State	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal or a	Not Applicable
ii)50% by promotion on the basis of 'seniority cum	Government/Courts/Tribunais, or (b) Stenographer grade 'D' or equivalent Post in Central Government	Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman	

^{*}Subject to variation depending upon work load

	की रोजपत्र : असाधारण
st 55%	
or \$0 mts	
tion	🕊

rejection of unfit 'of eligible candidates failing	or State Government or Courts/Tribunals, with Ten years regular service in the PB-1 of Rs. 5200-20200(GP-2400)	ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal -	
which by deputation	361 NGE III WEFE-1 OF NS. 3200-20200(GF-2400)	Member	
, ,	Essential- Computer Training Course of at least 6 months' duration	iii) Secretary, Ministry of Environment	
	from a recognised institution.	and Forests or his nominee Member	
	Possessing speed of 80 words per minute in short hand	iv) Registrar of the Tribunal - Member	
	(English/Hindi), Knowledge in Computer operation		
	In case of Promotion From amongst stenographers Grade 'D' in any		
	bench of the National Green Tribunal who have rendered not less		
	than 10 years regular service in the Grade of PB-1; GP-2400 (5200-		
	20200) .	1	
	Essential – Essential- Computer Training Course of at least 6 months'		
	duration from a recognised institution		
	Possessing speed of 80 words per minute in short hand	1	
	(English/Hindi), Knowledge in Computer operation		

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
9. Stenograp her Grade-'0'	2 *12 (2011)	Not Applicable	4 PB-1; Rs. 5200- 20200 (GP- 2400)	5 Selection Post	21-27 Years (Relaxable for Government Servant upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government Note:-the crucial date for determining tive age limit shall be the closing date for receipt of applications	7 Essential: 1) Graduation from a recognised University with at least 55% marks. 2) Skill Test Norms: Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m. Transcription: 65 mts (Eng.); 75 mts (Hindi) (On manual typewriter); or 50 mts (Eng.); 65 mts (Hindi) (on computer) 3) Computer Training Course of at least 6 months duration from a recognised institution.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probatio n if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be field by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	2 years	100% by direct recruitment failing which by deputation.	In case of deputation: Officers possessing a degree from recognised university and holding i) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/ Courts/Tribunals. ii) Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:-	Not Applicable

the Post	Post		Grade Pay/ Scale of Pay	selection post or non selection Post	direct recruits	other qualification required for direct recruits	educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Hindi Officer	*1 (2011)	Not Applicable	P8-2; Rs. 9300-34800 (GP-5400)	Non Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Pay Band and Whether

Age limit for Educational and Whether age and Period of probation if any

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be field by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by promotion failing which by deputation.	Deputation: (i) Persons holding analogous post on regular basis in Central Governments/State Government/Courts/Tribunals, or (ii) Persons holding the posts in PB-2 (Rs. 9300-34800); GP-4800 with 8 years regular service in the respective grade pay in the Central/ State Governments/ Courts/Tribunals. Promotion:- Officers having experience of 8 years of regular service in the post of Hindi Translator working in the PB-2; Rs. 9300-34800 (GP-4200) in National Green Tribunal.	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee - Member iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not Applicable

^{*}Subject to variation depending upon work load

Name of Number of

Classification

OF INDIA: EXTRAORDINARY

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to	in case of recruitment by promotion/deputation/abs orption grades from which promotion/deputation/abs orption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
be field by various methods 10 100% by direct recruitment failing which by deputation.	11 Not Applicable	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal -Member iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nomineeMember iv) Registrar of the Tribunal Member	13 Not Applicable

^{*}Subject to variation depending upon work load

	II L
	1 6
1	3
	ΠΞ
7	11
	11
	11
	11

Circumsta

nces in which

콥
9
4
343
34
धारव
a

		upsc is to be consulted in making recruitme nt
11	12	13
Deputation: (a) Officers possessing Bachelor's degree from a recognized university (i) holding analogous post on regular basis in Central Governments/State Government/ Courts/Tribunals thereto, or (ii) Officers holding the posts in PB-2; Rs. 9300-34800 (GP-4800) with 8 years regular service in the respective grade pay in the Central or State Governments or Courts/Tribunals. Desirable- (i) A pass in SAS or equivalent examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central / State Government. (ii) Successful completion of training in cash and accounts work in ISTM or	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee - Member iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not Applicable

Period of probation if any

Not Applicable

1 1

Pay Band and

Grade Pay/

Scale of Pay

PB-2; Rs.

9300-34800

promotion/deputation/absorption, to be made

(GP-5400)

Whether

or non

Not

Applicable

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which

selection post

selection Post

Age limit for

direct

Not

Applicable

recruits

Educational and

other qualification

required for direct

Not Applicable

recruits

Whether age and

recruits will apply in cases of promotees

educational

qualification prescribed for direct

Not Applicable

what is its composition

If Departmental Promotion Committee exists

Name of the

1

Method of recruitment

whether by direct

recruitment or by promotion or by deputation/abscrption and percentage of vacancies to be field by various methods

100% by promotion

failing which by

deputation

Accounts

Officer

Post

12.

10

Numb

er of

Post

2

1*(20

11)

3

Not

Applicable

Classification

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Accountant	5*(2011)	Not Applicable	PB-1; Rs. 5200-20200 (GP-2400)	Selection Post	21-30 years {Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. Note:-the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications.	Bachelor of Commerce (B.Com) degree with minimum 55% marks from a recognised University Desirable-CA Intermediate.	Not Applicable	2 years for Direct Recruit

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstance s in which UPSC is to be
deputation/absorption and percentage of vacancies to be field by various methods			consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by Direct Recruitment	in case of deputation:- Officers having Bachelor of Commerce(B.Com) degree from a	Group 'B' and Group 'C'	Not

[&]quot;Subject to variation depending upon work load

recognised University and holding;	Departmental Promotion	Applicable
	Almostophotomas, them the annual comments	
(b) post in PB-1 (Rs.5200-20200), Grade Pay 1900 with 8 years service in Central	i) Chairperson of the Tribunal or a	
Governments or State Governments or Courts/Tribunals. Essential – Working knowledge of Computer operation	by the Chairperson - Chairman	
Desirable-Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised	ii) Expert Member to be	
institution	the Tribunal -Member	
	iii) Secretary, Ministry of	
	iv) Registrar of the Tribunal	
	i)(a) analogous posts in Central Government / State Governments / Courts /Tribunals or; (b) post in PB-1 (Rs.5200-20200), Grade Pay 1900 with 8 years service in Central Governments or State Governments or Courts/Tribunals. Essential – Working knowledge of Computer operation	ii)(a) analogous posts in Central Government / State Governments / Courts / Tribunals or; (b) post in PB-1 (Rs.5200-20200), Grade Pay 1900 with 8 years service in Central Governments or State Governments or Courts/Tribunals. Essential – Working knowledge of Computer operation Desirable- Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution Committee (for confirmation) consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman iii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal -Member iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee –Member

5 = 6 - 59

[F. No. 17(23)/2010-PL/NGT] Dr. RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

2 11g 1